



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5926

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 346 / 2026

फैजआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, प्रांजल चौधरी

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक के लिए और श्री एस.आई. जाफरी, विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के लिए तथा श्री आर.पी. पटेल, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 626 / 2025, धारा 103(1), 191(1), 191(2) बी.एन.एस. के अधीन, थाना - लोहिया नगर, जिला - मेरठ में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार उक्त अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि चार नामजद अभियुक्त व्यक्तियों, आरिफ, आबिद पुत्र जल्लो वाला, शाहिल लंबू और आबिद पुत्र यूनस जूस वाला को पुलिस ने दोषमुक्त किया है बल्कि पांच नए अभियुक्तों को बाद में केवल सूचनाकर्ता के बयान के आधार पर शामिल किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि सूचनाकर्ता स्वयं प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और उसे मृतक के पुत्र द्वारा घटना के बारे में बताया गया था। मृतक का पुत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व की गई जांच कार्यवाही के समय उपस्थित था, इसलिए संपूर्ण कार्यवाही दिखावटी है और विश्वसनीय नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 6.11.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
7. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों और इस तथ्य को कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, विवादित नहीं कर पाए।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब पर विचार करते हुए और यह भी विचार करते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है और उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, प्रथम दृष्ट्या मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक फैज, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।